

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
संख्या-डीजी-1- पीएआर-6-93/2016
सेवा में,

फैक्स/ई-मेल-समयबद्ध/अति आवश्यक

उत्तर प्रदेश ।
दिनांक: 15, 2018

- 1-समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 3-समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक, पी०ए०सी०
- 5-समस्त सहायक पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

विषय:-

आई०पी०एस० अधिकारियों की वर्ष 2017-18 की पी०ए०आर० (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14-3-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आई०पी०एस० अधिकारियों की प्रविष्टियाँ पूर्ण किये जाने की समयसीमा से अवगत कराते हुए दिनांक 30.4.2018 तक Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) system में स्वमूल्यांकन आख्या अग्रेसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- उपरोक्त समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारियों की सेक्शन-1 भरकर पी०ए०आर० (SPARROW) system में जनरेट की जा चुकी है, यदि किसी अधिकारी की किसी अवधि की पी०ए०आर० जनरेट न हुई हो तो तत्काल अवगत कराएं ताकि उसे जनरेट कर दिया जाए। अधिकारियों द्वारा सेक्शन-1 को भलीभाँति चेक करके सही पाने की स्थिति में पी०ए०आर० के सेक्शन-2 में समय से स्वमूल्यांकन भरी जानी है। सेक्शन-1 व सेक्शन-2 में सही सूचना अंकित होने का पूर्ण दायित्व प्रतिवेदित अधिकारी का होता है। स्वमूल्यांकन भरने के समय मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक है।

3- निर्धारित समय में स्वमूल्यांकन न भरे जाने व प्रतिवेदक स्तर पर समय से स्वमूल्यांकन अंकित न किये जाने की स्थिति में पी०ए०आर० अगले स्तर पर स्किप हो जाएगी। अतः अनुरोध है कि पी०ए०आर० पूर्ण कराने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन कड़ाई से करने का कष्ट करें।

15/7/18
(नीरा रावत)

अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।